9460540417, 9461213201 (R)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :— श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस..

राजस्व आवेदन संख्या — 210/2025

उनवान

प्रार्थीगण

1. केसीदेवी पत्नी भीमाराम
2. हेमराज सेंवर पुत्र भीमाराम
3. नरेन्द्र सेवर पुत्र भीमाराम
4. शेराराम पुत्र फूसाराम
5. पूनमाराम चौधरी पुत्र फूसाराम
6. गजाराम पुत्र फूसाराम
7. खेतू देवी पत्नी फूसाराम
8. घमण्डाराम पुत्र देवाराम
9. चुतराराम पुत्र देवाराम
10. धन्नाराम पुत्र देवाराम
11. मगाराम पुत्र देवाराम जातियान जाट निवासी रामदेव मंदिर तहसील रामसर जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण

1. चेनाराम पुत्र हेमाराम
2. सुराराम पुत्र पूनमाराम
3. भीमाराम पुत्र पूनमाराम
4. रामाराम पुत्र रतनाराम
5. गेनाराम पुत्र लाखराम
6. धुडाराम पुत्र केशराराम
7. तुलसाराम पुत्र केशराराम
8. जयराम पुत्र केशराराम
9. लालाराम पुत्र शिवदानराम
10. गुमनाराम पुत्र बगताराम
11. धनाराम पुत्र बगताराम
12. भैराराम पुत्र कुशलाराम
13. देवाराम पुत्र कुशलाराम जातियान जाट निवासी रामदेव मंदिर तहसील रामसर जिला बाडमेर।
14. तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी खेत खसरा नम्बर 154 रकबा 39.5296 हैक्टेयर, किस्म बा. सोयम, मौजा—रामदेव मंदिर पटवार **हल्का—चाडार मदरूप, भु—अभिलेख निरीक्षक—रामसर तहसील—रामसर,** जिला—बाड़मेर।

उपस्थित :— 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. राज पैरोकार।

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— **17.12.2025**

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय में दिनांक **02.07.2025** को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा **रामदेव मंदिर, पटवार मण्डल चाडार मदरूप , भूअनि रामसर, तहसील रामसर में अवस्थित खेत खसरा संख्या 154 रकबा 39.5296 हैक्टेयर** उनके खाते की कृषि भूमि अवस्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विप्रार्थीगण पड़ोसी खातेदार है। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिससे कि प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहते है। आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी का आदेश प्रदान किया जावें।

प्रकरण के अवलोकन में यह तथ्य प्रमाणित है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खेत की कृषि भूमि की नेखमबंदी करवाने का हकदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.01.16 17:05:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रामसर

Scanned with OKEN Scanner

। विप्रार्थीगण को नोटिस रजिस्टर्ड जारी होने के बावजूद भी विप्रार्थी संख्या 1 से 13 उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। उभयपक्ष अधिवक्ता की पत्रावली में बहस सुनी गई लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य प्रतित होता हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मौजा **रामदेव मंदिर, पटवार मण्डल चाडार मदरूप , भूअनि रामसर, तहसील रामसर में अवस्थित खेत खसरा संख्या 154 रकबा 39.5296 हैक्टेयर** भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार रामसर को 1000/– अक्षरे रूपये एक हजार रूपये मात्र पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार रामसर को निर्देश दिये जाते है कि वे उपरोक्त आराजियात में किसी न्यायालय का स्थगन एवं मौके पर फसल खड़ी होने की स्थिति में नेखमबंदी की कार्यवाही नहीं की जावे। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों/अधिसूचनाओं में दिये गये दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए, मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर नेखमबंदी की कार्यवाही की जावे तथा उक्त प्रकरण में दर्ज सभी प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण को लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में उक्त खसरे के पक्के नेखम स्थापित करें। कमिश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगें। आवश्यकतानुसार तहसीलदार रामसर को संबंधित पुलिस थाने से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। उपरोक्तानुसार नेखमबंदी की समयबद्ध पालना की जाकर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें।

यह आदेश आज दिनांक **17.12.2025** को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी रामसर

(राम लाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी रामसर

दिनांक : 18/12/2025

क्रमांक : रीडर/2025/1084-87

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार रामसर को भेजकर लेख है कि प्रकरण में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर 15 दिवस में पालना से न्यायालय को अवगत करावें।
2. थानाधिकारी रामसर।
3. प्रार्थीगण केसीदेवी पत्नी भीमाराम वगैराह जाति जाट निवासी रामदेव मंदिर तहसील रामसर जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण श्री चेनाराम पुत्र हेमाराम वगैराह।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.01.16 17:05:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी रामसर

Scanned with OKEN Scanner